न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 10/2011 (76 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2011/00037

उनवान

1. सुजान सिंह } पिसरान छिद्दा
2. श्रीभान सिंह }
3. लक्ष्मन पुत्र गोविन्द } जाति जाट नि0 नगला तुलसी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
4. भोला पुत्र तेज सिंह
5. गयाप्रसाद पुत्र बहादुर

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 10.08.2011 प्र.संख्या 63/2011 उनवानी सुजान सिंह बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक– 25.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 10.08.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार रूपवास ने आराजी खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.02 वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास पर अपीलाण्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुये बेदखल करने व शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2011 से स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रूपवास को पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गयी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पुनः प्रतिप्रेषित करने की हद तक गलत है। विवादित आदेश तहसीलदार रूपवास द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1282/0.02 वाके रूपवास के संबंध में अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम पर पारित किया गया था और अपीलाण्ट की दुकानो को उक्त नम्बर में बना होना मानकर बेदखल करने के आदेश दिये गय थे। जबकि अपीलाण्ट की दुकाने खसरा नम्बर 1283/1.0 वाके रूपवास पर बनी हैं इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः विचारण हेतु प्रथम अधीनस्थ न्यायालय को भेजे जाने का आदेश कतई गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील को इस आधार पर स्वीकृत किया है कि उनका निर्माण उनकी खातेदारी व स्वामित्व के खसरा नम्बर 1283/1.0 वाके रूपवास पर बनी है। फिर भी खसरा नम्बर 1282/01.02 के लिये पुनः विचारण हेतु भेजा गया है कतई स्पष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र सरसरी तौर पर प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने के आदेश देने में भारी त्रुटि की है। अपीलाण्ट का आराजी खसरा नम्बर 1282 पर कोई अतिक्रमण नहीं हैं तो फिर पुनः उसी आराजी पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही नये सिरे से करने हेतु प्रकरण को वापस तहसीलदार को भेजे जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि आराजी खसरा नम्बर 1282 किस्म गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम रूपवास में से 0.02 पर अपीलाण्ट द्वारा दुकान बनाकर अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गयी है। अतिक्रमी द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर दुकान निर्मित की गयी हैं एवं अपीलाधीन आदेश की पालना में दिनांक 23.06.2011 को विवादित रास्ते की भूमि से अपीलाण्ट का अतिक्रमण ध्वस्त किया जा चुका है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण बाबत् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रूपवास ने जो निर्णय पारित किया है वह उचित ही है। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक कथनों की विस्तार से विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट ने अपीलाधीन निर्णय को चुनौती देने योग्य, कोई नये तथ्य, तर्क अथवा साक्ष्य अपील में प्रस्तुत नही किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलाण्ट की समस्त आपत्तियों का विधिवत निस्तारण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करते हुये, प्रकरण तहसीलदार रूपवास को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.08 वाके ग्राम रूपवास बाबत् अपीलाण्ट एवं सभी संबंधित पक्ष को सुनवाई/साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये रिमाण्ड किया है। अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील में इस तरह का कोई नया तथ्य या कानूनी चूक नहीं बताई है, जिस पर अपीलाधीन निर्णय में विचार नहीं किया गया हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.08.2011 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाये जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official